

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
<p>01 2018 पत्रावली प्राथी वकील के प्राथीना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 संप्रति धारा 151 जा. प्री. पर पेश हुई। प्राथीगण के अधिकारों ने निर्वाह किया है कि उक्त उक्त का मामला आप न्यायालय में विचारार्थीग धरकर प्रतिकापी संख्या 1 के प्राथीना पत्र अन्तर्गत धारा 148 व 151 जा. प्री. पर बहस के स्ट्रेण पर डरकर आप दिनांक 22/01/2018 को पेशी नियत थी, लेकिन वादीगण के वाजार होने से तथा वादीगण के अधिकारों के अन्य न्यायालय में वास्त होने से न्यायालय समय पर उपस्थित नही हो सके हैं, जिससे दावा अलग दायरी व अलग पेशी में खारिज कर दिया है। प्राथीगण (वादीगण) तथा उनके अधिकारों जानबुझकर अनुपस्थित नही रहे हैं, कारण वाजिब व न्यायसंगत है तथा मामला बहस प्राथीना पत्र हेतु नियत है। इसी स्ट्रेण पर डर को मजबूर पर नही लिया गया तो प्राथीगण (वादीगण) अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। अन्त में निर्वाह किया है कि प्राथीगण का प्राथीना पत्र स्वीकार किया जाकर मामले को पुनः मजबूर पर लिया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।</p> <p>इन्ने विद्वान अधिकारों के प्राथीना पत्र पर बहस सुनी। विद्वान अधिकारों द्वारा उक्त प्राथीना पत्र न्यायालय समय पर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन मामले</p>	

தொழில்

தொழிலாளர் சங்கம்

தொழிலாளர் சங்கம்

22/10/18
[Signature]

தொழிலாளர்

தொழிலாளர் சங்கம்
தொழிலாளர் சங்கம்
தொழிலாளர் சங்கம்
தொழிலாளர் சங்கம்
தொழிலாளர் சங்கம்
தொழிலாளர் சங்கம்
தொழிலாளர் சங்கம்

தொழிலாளர் சங்கம்
தொழிலாளர் சங்கம்
தொழிலாளர் சங்கம்
தொழிலாளர் சங்கம்
தொழிலாளர் சங்கம்
தொழிலாளர் சங்கம்
தொழிலாளர் சங்கம்